न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: रिछपाल सिंह बुरडक, आर.ए.एस.)

आवेदक

श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही

बनाम

प्रतिवादी/अभियुक्त

1. जेठाराम पुत्र हीराजी चौधरी, जाति-जणवा, निवासी-मुण्डारा, तह.बाली, जिला-पाली (एफ.बी.ओ. एवं मालिक)

फर्म:- होटल प्रियंका, एन.एच.27, एच.पी. पेट्रोल पम्प, के सामने, भीमाना, जिला-सिरोही

2. मेहरअली नूरमोहम्मद कोजर पुत्र श्री नूरमोहम्मद इब्राहीम भाइ निवासी- 172 मोमिन वास, जाफरीपुरा तहसील- सिद्धपुर, जिला पाटन (गुजरात) (खाद्य कारोबारकर्ता एवं सप्लायर)

फर्म:- Amenity Traders, Acumen Commercial Centre, Highway road, Sidhpur, Dist. Patan (Gujrat) - 384151

3. पटेल ऋषि पुत्र श्री विष्णु भाई, निवासी- 12 जयरामनगर सोसायटी, धोबीघाट तालाब किनारे, महेसाणा, तह. महेसाणा, जिला- महेसाणा 384001 (खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक)

फर्म:- S L M. and Foods, Plot No.3090 Phase-III, G.I.D.C. Chhatral, At-Chhatral, Tehsil-Chhatral, Dist- Gandhinagr-382729

प्रकरण संख्या: 03/2020

"अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा- 51 व 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006"

उपस्थिति:

1. श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी

-: निर्णय :- दिनांक 26 फरवरी, 2020

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह न्याय निर्णयन आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दिनांक 03.7.2019 को समय 3.00 पी.एम. पर फर्म होटल प्रियंका, एन.एच.27, एच.पी. पेट्रोल पम्प के सामने भीमाना, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही पर पँहुचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता से परिचय लेने व देने पर ज्ञात हुआ कि वह व्यक्ति जेठाराम पुत्र हीरा जी चौधरी, जाति- जणवा, निवासी- मुण्डारा, तहसील- बाली, जिला- पाली है एवं उक्त फर्म होटल प्रियंका पर मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता की हैसियत से मौजूद है, जो आम जनता को रेड चिल्ली सॉस (अमेनिटी ब्राण्ड) का उपयोग खाना बनाने एवं खाना बनाकर बेचने में करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ रेड चिल्ली सॉस (अमेनिटी ब्राण्ड) के अमानक शक होने पर

[illegible]

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर की एवं होटल के स्टोर की आलमारी की रैक में विक्री हेतु मौजूद खाद्य पदार्थ रेड चिल्ली सॉस (अमेनिटी ब्राण्ड) के 12 पैंक्ड प्लास्टिक बोतलों (प्रत्येक 650 ग्राम) में से रेड चिल्ली सॉस (अमेनिटी ब्राण्ड) की 4 पैंक्ड बोतलें (प्रत्येक 650 ग्राम) खरीदी एवं उसकी कीमत अदा कर खरीद रसीद बिल प्राप्त किया। फार्म संख्या 5ए तैयार किया एवं खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहान के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं मैंनें भी अपने हस्ताक्षर किये। फार्म संख्या 5ए की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्ता को देकर रसीद प्राप्त की। फार्म संख्या 5ए मूल संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर कोड एवं क्रमांक S-970, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर विक्रेता व गवाहों के हस्ताक्षर कराये एवं मैंनें स्वयं ने अपने हस्ताक्षर किये हैं। तत्पश्चात् खरीदशुदा रेड चिल्ली सॉस (अमेनिटी ब्राण्ड) को खरीदशुदा चारों पैंक्ड बोतलों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया और चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप कोड व क्रमांक S-970 को नियमानुसार गोंद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं मैंनें भी अपने हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लिया। खाद्य कारोबारकर्ता के द्वारा नमूनें के चौथे भाग की जांच NABL ACCREDETED LAB से कराने की जानकारी दी, लेकिन खाद्य कारोबारकर्ता ने इस प्रकार की जांच कराने से मना किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाहान ने पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये व स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई। मूल मौका फर्द संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पँहुच कर फार्म नंबर 6 की 8 प्रतियां तैयार की व उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूनें के चारों भागों के साथ फार्म नंबर 6 की एक एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया, मोटे मजबूत धागे से बांधा व नियमानुसार सील चपडी किया। फार्म नंबर 6 की दो-दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग बन्द कर गोंद से चिपकाई एवं लिफाफो को सील चपडी किया। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने दिनांक 04.7.2019 को नमूनें का एक भाग एवं फार्म नंबर 6 का एक सील्ड लिफावा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की तथा दिनांक 04.7.2019 को ही शेष तीन सील बन्द नमूना मय फार्म नम्बर- 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने जमा कराकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही से खाद्य पदार्थ रेड चिल्ली सॉस (अमेनिटी ब्राण्ड) की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य पदार्थ रेड चिल्ली सॉस (अमेनिटी ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-970

... पेज तीन पर

अमानक (Sub-standard) एवं मिथ्याछाप पाया गया है। खाद्य कारोबारकर्ता जेठाराम एवं निर्माता फर्म को जांच रिपोर्ट की प्रति भिजवाई गई एवं जांच से असन्तुष्ट होने की स्थिति में पुनः जांच का आवेदन फार्म 8 में रिपोर्ट प्राप्ति से 30 दिन में प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया, लेकिन जेठाराम एवं निर्माता फर्म ने पुनः जांच हेतु आवेदन प्रस्तुत नही किया। इस प्रकरण से संबंधित सभी दस्तावेज अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को आवश्यक कार्यवाही हेतु पेश किये। प्रकरण में अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिरोही ने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन एवं मनन कर प्रतिवादीगण द्वारा अमानक एवं मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ रेड चिल्ली सॉस (अमेनिटी ब्राण्ड) का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(**ii**) का उल्लंघन पाया जो उक्त अधिनियम की धारा 51 व 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध होने से अभियोजन स्वीकृति जारी कर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के समक्ष न्याय निर्णय आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया है। प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा अमानक (Sub-standard) एवं मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ रेड चिल्ली सॉस (अमेनिटी ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (**ii**) का उल्लंघन किया है जो धारा- 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। अतः प्रतिवादीगण पर जुर्माना आरोपित किया जावे।

(2) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये जाकर विधिवत तामिल करवाई गई। जिस पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 18.2.2020 को प्रतिवादी संख्या 2 व 3 इस न्यायालय में स्वयं उपस्थित हुये एवं अलग अलग लिखित जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण में दिनांक 19.2.2020 को प्रतिवादी संख्या-1 (जेठाराम) स्वयं ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या-1 की ओर से प्रस्तुत लिखित जवाब में यह अंकित किया गया है कि दिनांक 03.7.2019 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा जो रेड चिल्ली सॉस नमूना जांच के लिये लिया था वह मैंने बिल संख्या [illegible]/1484 दिनांक 01.7.2019 के द्वारा होटल में उपयोग हेतु खरीदी थी तथा पैक [illegible] सम्पल के लिये बेची थी। नमूना लेते समय बिल प्रस्तुत कर दिया था। मैंने मेरी ओर से इसमें कुछ नही मिलाया था, कृपया मुझे इस मुकदमें से मुक्त किया जावे। प्रतिवादी संख्या-2 की ओर से प्रस्तुत लिखित जवाब में यह अंकित किया गया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने दिनांक 03.7.2019 को जिस रेड चिल्ली सॉस का नमूना जांच के लिये लिया था वह मैंने बिल संख्या 32 दिनांक 24.6.2019 के द्वारा विक्री के लिये प्राप्त किया था। मैंने मेरी ओर से उसमें कुछ भी नही मिलाया था। पैक अवस्था में ही बेचा था तथा अब मैंने यह सॉस बेचना बंद कर दिया है, कृपया मुझे इस मुकदमें से मुक्त करावे। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या-3 की ओर से प्रस्तुत लिखित जवाब में यह अंकित किया गया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा दिनांक 03.7.2019 को जिस रेड चिल्ली सॉस का नमूना जांच के लिये लिया था वह मेरी फर्म द्वारा बनाया गया है जो जांच रिपोर्ट के अनुसार सब स्टेण्डर्ड एवं मिसब्राण्ड पाया गया है। जांच रिपोर्ट में पाई कमियों को अब मैंने दूर कर

[illegible]

दिया है। मेरी फर्म द्वारा तैयार किया गया रेड चिल्ली सॉस स्वास्थ्य के लिये हानिकारक नही पाया गया तथा मैंने कमियों को दूर भी कर लिया है, इसलिये प्रकरण को समाप्त करावें।

(3) प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 26.2.2020 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित हुये, लेकिन प्रतिवादीगण उपस्थित नही हुये। प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा उक्तानुसार गलती स्वीकार कर लिये जाने से दिनांक 26.2.2020 को ही आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी की बहस सुनी गई। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बहस के दौरान न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रतिवादीगण ने अमानक एवं मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ रेड चिल्ली सॉस (अमेनिटी ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 व 52 के तहत जुमनि योग्य अपराध होने से प्रतिवादीगण पर जुर्माना आरोपित किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 03.7.2019 को 3.00 पी.एम. पर आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म होटल प्रियंका, एन.एच. 27, एच.पी. पेट्रोल पम्प के सामने, भीमाना, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही पर गये। वहां उक्त फर्म होटल प्रियंका में मालिक एवं खाद्यकारोबारकर्ता की हैसियत से जेठाराम पुत्र हीरा जी चौधरी जाति- जणवा, निवासी- मुण्डारा, तहसील- बाली, जिला- पाली उपस्थित मिले, जो आम जनता को खाद्य पदार्थ रेड चिल्ली सॉस (अमेनिटी ब्राण्ड) का उपयोग खाना बनाने एवं खाना बनाकर बेचने में करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त फर्म होटल प्रियंका के निरीक्षण के दौरान आम जनता के लिये खाना बनाने एवं खाना बनाकर बेचने में उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ रेड चिल्ली सॉस (अमेनिटी ब्राण्ड) के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना क्रय करने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना खाद्य कारोबारकर्ता जेठाराम को उपस्थित गवाह श्री कैलाश पुत्र श्री पुखराज प्रजापत, ग्राम सेसली, पोस्ट बाली, जिला- पाली एवं श्री विशाल सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष प्रपत्र संख्या 5ए में भरकर दी तथा फर्म होटल प्रियंका के स्टोर में आलमारी की रैक में मौजूद खाद्य पदार्थ रेड चिल्ली सॉस (अमेनिटी ब्राण्ड) के 12 पैक्ड प्लास्टिक बोतलों (प्रत्येक 650 ग्राम) में से खाद्य पदार्थ रेड चिल्ली सॉस (अमेनिटी ब्राण्ड) की 4 पैक्ड बोतलें (प्रत्येक 650 ग्राम) नमूना जांच हेतु खरीदी एवं उसकी कीमत राशि रुपये 144/- (अक्षरें रुपये एक सौ चौवालीस मात्र) खाद्य कारोबारकर्ता जेठाराम को अदा कर क्रय करने का रसीद बिल प्राप्त किया। प्रपत्र संख्या 5ए, नमूना खरीद रसीद बिल मूल ही न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है जिन पर खाद्य कारोबारकर्ता जेठाराम व उक्त गवाहान तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबलों पर

....पेज पांच पर

अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के कोड एवं क्रमांक S-970, दिनांक, खाद्य पदार्थ का नाम, नमूना लेने का स्थान आदि अंकित कर प्रत्येक लेबल पर खाद्य कारोबारकर्ता जेठाराम व उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये व आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीद शुदा खाद्य पदार्थ रेड चिल्ली सॉस (अमेनिटी ब्राण्ड) के चारों पैक्ड नमूना बोतलों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया और चारों नमूना कंटेनरों को अलग-अलग कागज में लपेटकर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप कोड एवं क्रमांक S-970 को नियमानुसार गोंद से चिपकाया व प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता जेठाराम व उक्त गवाहों के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये और आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् उक्त चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे/जापते में लिया व मौके पर मौका फर्द तैयार की। मौका फर्द रिपोर्ट पर खाद्य कारोबारकर्ता जेठाराम व उक्त गवाहों तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये हैं। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म नम्बर 5ए, खाद्य पदार्थ क्रय का बिल एवं मौका फर्द आदि दस्तावेजों के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फर्म होटल प्रियंका, एन.एच.27, एच.पी.पेट्रोल पम्प के सामने, भीमाना तहसील- पिण्डवाड़ा जिला- सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता जेठाराम से खाद्य पदार्थ रेड चिल्ली सॉस (अमेनिटी ब्रण्ड) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है।

तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त खाद्य पदार्थ रेड चिल्ली सॉस (अमेनिटी ब्राण्ड) के चारों नमूना भागों को साथ लेकर कार्यालय पहुंचकर फार्म नम्बर-6 की 8 प्रतियां तैयार की एवं उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की तथा नमूना के चारों भागों के साथ फाम नम्बर-6 की एक एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया व धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। साथ ही, फार्म नम्बर-6 की दो-दो प्रतियां अलग से दो लिफाफों में रखकर लिफाफों को सील चपडी किया। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने दिनांक 04.7.2019 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नम्बर-6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की, जो पत्रावली पर उपलब्ध है। साथ ही, नमूने के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ भाग एवं फार्म नम्बर-6 के सील बन्द लिफाफा को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को दिनांक 04.7.2019 को ही जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई। विचारणीय प्रकरण में उक्त खाद्य पदार्थ रेड चिल्ली सॉस का नमूना संख्या S-970 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण जांच रिपोर्ट क्रमांक:J.S. 524 Act 2019 578 दिनांक 17.7.2019 के अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म होटल प्रियंका, एन.एच27, एच.पी. पेट्रोल पम्प के सामने, भीमाना, तहसील- पिण्डवाड़ा, जिला- सिरोही

.....पेज छः पर

में खाद्य कारोबारकर्ता जेठाराम से वास्ते जांच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ रेड चिल्ली सॉस (अमेनिटी ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-970 अमानक (Sub-standard) एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zf)(c)(i) के अर्न्तगत मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है एवं उक्त अधिनियम की धारा 51 व 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट के अनुसार List of Ingredients में उक्त खाद्य पदार्थ रेड चिल्ली सॉस (अमेनिटी ब्राण्ड) में जो रेड चिल्ली उपयोग में ली गई है उसकी प्रतिशत मात्रा का उल्लेख पेकिंग लेबल पर नही किया है। खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की उक्त जांच रिपोर्ट अनुसार खाद्य पदार्थ रेडड चिल्ली सॉस (अमेनिटी ब्राण्ड) में गुणवत्ता विशेषतायें "Total soluble solids (On Salt free basis)(m/m) की मात्रा न्यूनतम 8 प्रतिशत के स्थान पर 4.10 प्रतिशत पाई गई है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के पत्र क्रमांकःएफएसएसए/2019/9374-77 दिनांक 29.7.2019 से प्रतिवादी संख्या-1 (जेठाराम) व निर्माता फर्म S.L.M. & Foods को उक्त जांच रिपोर्ट की प्रति प्रेषित गई है, किन्तु इन्होंने पुनः जांच हेतु अपील आवेदन प्रस्तुत नही किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या-1 (जेठाराम) की उक्त फर्म होटल प्रियंका द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ रेड चिल्ली सॉस की पैक्ड बोतलों को फर्म Amenity Traders, Acumen Commercial Centre, Highway Road, Sidhpur-384151 से टेक्स इनवोइस नम्बर AT/1484 दिनांक 01.7.2019 के द्वारा क्रय किया गया था, जो कि प्रतिवादी संख्या-2 की फर्म है। प्रतिवादी संख्या-2 की उक्त फर्म Amenity Traders द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ रेड चिल्ली सॉस (अमेनिटी ब्राण्ड) को इनवोइस नम्बर 32 दिनांक 24.6.2019 के द्वारा फर्म S L M AND FOODS, Plot No.3090 Phase-III G.I.D.C. Chhatral, At. Chhatral, Tehsil-Chhatral, Dist. Gandhinagar (Gujrat)-382729 से क्रय किया गया था, जो कि उक्त खाद्य पदार्थ रेड चिल्ली सॉस (अमेनिटी ब्राण्ड) की निर्माता फर्म है। इससे यह स्पष्ट है कि उक्त निर्माता फर्म S L M AND FOODS, Plot No.3090 Phase-III G.I.D.C. Chhatral, At. Chhatral, Tehsil-Chhatral, Dist. Gandhinagar (Gujrat)-382729 ने अमानक (Sub-standar) एवं मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ रेड चिल्ली सॉस (अमेनिटी ब्राण्ड) का निर्माण, पैकिंग एवं विक्रय किया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा-2(ii) का उल्लंघन है एवं इस अधिनियम की धारा 51 व 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। इस प्रकार, अमानक एवं मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ रेड चिल्ली सॉस (अमेनिटी ब्राण्ड) के निर्माण, पैकिंग एवं विक्रय हेतु निर्माता फर्म S L M AND FOODS, Plot No.3090 Phase-III G.I.D.C. Chhatral, At. Chhatral, Tehsil-Chhatral, Dist. Gandhinagar (Gujrat)-382729 ही मुख्य रुप से दोषी व उत्तरदायी है।

.....पेज सात पर

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 80 के तहत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या- 1 व 2 को दोष मुक्त किया जाकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा- 52 के तहत खाद्य पदार्थ रेड चिल्ली सॉस (अमेनिटी ब्राण्ड) की निर्माता फर्म S L M AND FOODS, Plot No.3090 Phase-III G.I.D.C. Chhatral, At. Chhatral, Tehsil-Chhatral, Dist. Gandhinagar (Gujrat)-382729 पर राशि रुपये 30,000/- (अक्षरे रुपये तीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। निर्माता फर्म S L M AND FOODS, Plot No.3090 Phase-III G.I.D.C. Chhatral, At. Chhatral, Tehsil-Chhatral, Dist. Gandhinagar (Gujrat)-382729 के प्रोपराईटर पटेल ऋषि पुत्र श्री विष्णु भाई, निवासी- 12 जयरामनगर सोसायटी, धोबीघाट तालाब किनारे, महेसाणा, तहसील- महेसाणा, जिला- महेसाणा (गुजरात) 384001 को आदेशित किया जाता है कि निर्माता फर्म S L M AND FOODS, Plot No.3090 Phase-III G.I.D.C. Chhatral, At. Chhatral, Tehsil-Chhatral, Dist. Gandhinagar (Gujrat)-382729 पर आरोपित उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिवस के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरडक)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Richpal Singh Burdak
Date: 2020.03.05 18:13:01 IST
Reason: SelfAttested
Location: